U

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

संख्याः /जि0आ0अ0/ताड़ी दुकान/हंसवर/2019–20/अम्बे0/दिनांकः 28 दिसम्बर,2019

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ताड़ी वर्ष 2019–20 हेतु जनपद अम्बेडकरनगर की ताड़ी की दुकान हंसवर के अनुज्ञापी की मृत्यु के कारण रिक्त हुई दुकान का दिनांक 30.09.2020 तक की अवधि के लिए स्थायी व्यवस्थापन किया जाना है। दुकान का व्यवस्थापन 'उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली 1968' (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिए इच्छुक व्यक्तियों से जी–28 प्रारूप पर आवेदन आमन्त्रित किये जाते है। 25 रूपये का ट्रेजरी चालान सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा कर तथा जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, शपथपत्र आदि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करते हुए दिनांक 30.12.2019 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 17.01.2020 को सायंकाल 05:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेडकरनगर में आवेदन जमा किया जा सकता है। दुकान के अनुज्ञापन हेतु पासी, बेलदार, ताडमाली, भर एवं अनूसूचित जाति जनजाति समुदायों के सदस्य पात्र होंगे। अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में तभी विचार किया जायेगा, जब उक्त समुदाय के सदस्य उपलब्ध न हो। विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक अथवा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(अतुल कुमार श्रीवास्तव)
जिला आबकारी अधिकारी
अम्बेडकरनगर।

(राकेश कुमार मिश्र)
जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

संख्याः 989-97/जि0आ0अ0/ताड़ी दुकान/हंसवर/2019–20/अम्बेडकरनगर/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, प्रयागराज।

2–संयुक्त आबकारी आयुक्त, टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ की उक्त विज्ञप्ति को आबकारी विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

3–उप आबकारी आयुक्त, अयोध्या प्रभार, अयोध्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4–विशेष कार्याधिकारी/आशुलिपिक, कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।

5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस आशय के साथ कि जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करायें।

6–जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस आशय के साथ की उक्त विज्ञप्ति को दो प्रचलित समाचार पत्रों में सःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

7–प्रभारी अधिकारी जिला पंचायत/नगर पालिका टाण्डा अम्बेडकरनगर को इस आशय साथ कि अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

8–समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र, अम्बेडकरनगर।

9–नोटिस बोर्ड, कार्यालय–जिला आबकारी अधिकारी, अम्बेडकरनगर।

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

Scanned by CamScanner